न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– *अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर*

अपील मु0नं0 22/2022 (जीसीएमएस नं0 2022/41)

उनवानी प्रकरणः–

श्री प्रेम जैन पुत्र स्व0 श्री भीकाराम जैन निवासी कमल बैंड के सामने, सराय गजरा रोड कोठी धौलपुर ––– – – – अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर –––– – – रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत
प्रथम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर
(लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर)

निर्णय दिनांक 21.07.2022

अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की कि उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु पेश किया जिसके बिन्दु इस प्रकार है :–

1. *न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर में एल आर एक्ट की धारा 82 के तहत दर्ज रेफरेंस प्रकरण मु0नं0 15/2021 सरकार बनाम रामभरोसी एवं अन्य में दिनांक 15.02.2022को पारित निर्णय की सत्यपित छाया प्रति उपलब्ध कराऐं।*
2. *न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर में एल आर एक्ट की धारा 82 के तहत दर्ज रेफरेंस प्रकरण मु0नं0 15/2021 सरकार बनाम रामभरोसी एवं अन्य से संबधित तहसीलदार धौलपुर के पत्र कमांक भू.अ./2022/281 दिनांक 10.02.2022 द्वारा भेजी गई रिपोर्ट जिसमें अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार मानते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के लिए श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 11.02.2022 के आधार पर खातेदारी दर्ज कराने के आदेश जारी किए गऐ है,उस आदेश के संबध में तहसीलदार की रिपोर्ट कमांक 281 दिनांक 10.02.2022 व श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 11.02.2022 की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराऐं।*

अपीलान्ट के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। *अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर* अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर *बिन्दुबार टिप्पणी/रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। अपीलान्ट को अपने पक्ष में दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर तलव किया गया।*

अतिरिक्त *जिला कलक्टर* धौलपुर लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर ने अपने पत्र कमांक प्रथम अपील/आरटीआई/2022–23/334 दिनांक 04.07.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि बिन्दू संख्या 1 के सम्बध में पत्रांक कोर्ट/2022/194–95 दिनांक 17.5.2022 के द्वारा अपीलार्थी को लिखा गया कि न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर में धारा 82 के तहत रैफरेंस मु0न0 15/2021 सरकार बनाम रामभरोसी व अन्य में दिनांक 15.02.2022 को कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है इसलिये सूचना दिया जाना संभव नहीं है तथा प्रति इस कार्यालय को भिजवाते हुए लिखा गया कि बिन्दू संख्या–2 की सूचना राजस्व अनुभाग से संबधित है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्रांक प. 12/12(36)राजस्व/2015/1123 दिनांक 06.06.2022 से बिन्दू संख्या–2 की सूचना के संबध में अवगत कराया गया कि राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के पत्रांक प.6(1)राज–7/2019/विविध जयपुर दिनांक 12.08.2021 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8(1)(ञ) के अनुसार आवेदक द्वारा आवेदन में चाही गई सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से संबध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी या यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है। प्रभरी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर से उक्त सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक संपर्क/सूचना अधि./2022/269 दिनांक 07.06.2022 से सूचित किया गया जिसकी प्रति पेश की है।

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने के लिए जरिये नोटिस तलब किया गया, बावजूद तामील के अपीलार्थी निर्धारित दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

हमने अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रैट धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया। अपीलान्ट के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या–1 की सूचना इसलिये नहीं दी गई क्योंकि आवेदक

के द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्रकरण संख्या 15/2021 का निर्णय दिनांक 15.02.2022 अंकित करते हुये निर्णय की प्रति चाही थी जबकि उक्त दिनांक को प्रकरण संख्या 15/2021 में कोई निर्णय पारित नहीं हुआ। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में प्रकरण संख्या 15/2021 का निर्णय दिनांक 25.02.2022 को होना अंकित किया है। प्रकरण संख्या 15/2021 में दिनांक 25.02.2022 को निर्णय पारित हुआ है जिसकी प्रति अपीलांन्ट/आवेदक को उपलब्ध कराई जा सकती है। आवेदक के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अंकित सूचना लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने का कारण यह बताया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8(1)(ज) के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचना व्यक्तिगत सूचना से सम्बंधित है जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा जब तक कि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है। अपीलान्ट/आवेदक के द्वारा बिन्दु संख्या–2 में चाही गई सूचना व्यक्तिगत सूचना प्रतीत नहीं होती है और न ही इससे किसी की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण होना प्रतीत होता है। इस प्रकार बिन्दु संख्या–2 की सूचना अपीलान्ट/आवेदक को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट/आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 की चाही गई सूचना सात दिवस में अतिरिक्त *जिला कलक्टर धौलपुर* लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर द्वारा उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रति अतिरिक्त *जिला कलक्टर धौलपुर* लोक सूचना अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर एवं अपीलान्ट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर